

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: शुद्धि-पत्र ::

आ0सं0-9/पद-05-01/2016(खण्ड-II), सा0प्र0.....4559/पटना-15, दिनांक.....6-4-18

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या-4547 दिनांक-05.04.2018 में अंकित विभागीय आदेश संख्या- 8807 दिनांक-19.03.2008 के स्थान पर विभागीय आदेश संख्या-8807 दिनांक-19.03.2018 समझा जाय।

पूर्व का आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

2. शेष यथावत रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/पद-05-01/2016(खण्ड-II), सा0प्र04559/पटना-15, दिनांक.....6-4-18

प्रतिलिपि:- विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/समाज कल्याण विभाग/बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना/अवर सचिव(स्था0), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित कर्मियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।